

देश की अपारम्पना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 अंक - 121 जौनपुर, शुक्रवार, 20 दिसम्बर 2024 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा अध्यक्ष नरवइ के पास रोती हुई आई महिला सांसद

नागालैंड (एजेसी)। भाजपा सांसद फागनोन कोन्याक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा सभापति के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर संसद के बाहर भाजपा और कांग्रेस के एक साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके बहुत करीब खड़े होकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने और असुविधा पैदा करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा की राज्यसभा सांसद फागनोन कोन्याक ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी करीब आए। मुझे यह पसंद नहीं आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए... मैंने सभापति से भी शिकायत की है। राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने आज भाजपा के दो सांसदों को धक्का दिया, जो अब अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी के व्यवहार के लिए पूरी कांग्रेस को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद कोई कुश्ती का मैदान नहीं है। राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाते तो क्या होता। हमारे पास संख्या बल ज्यादा है। रिजिजू ने कहा कि जिस प्रकार श्रीमान राहुल गांधी ने दो सांसदों को मारा है, हमारे सांसदों में बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर हाथ उठाते तो क्या हाल होता? हमारे पास संख्या (बल) है, हम डरपोक नहीं हैं। यदि हमारे लोग भी राहुल गांधी की तरह हाथ उठाने लग जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी को सदन से ही नहीं, बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

कश्मीर में हुई मुठभेड़ में मारे गये 5 आतंकी

कश्मीर, (एजेसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जारी है। इस क्रम में कुलगाम जिले में आज सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह बताया कि बुवार आधी रात के बाद शुरू किए गए अभियान में सुरक्षा बल के दो जवान भी घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने बुवार रात में घेरे के बेहिजाग इलाके के कट्टे गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलाबर्छाई जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इस बीच, खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यह बैठक होगी। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया, "गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव होने के बाद यह शाह की पहली बैठक होगी। केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए।

भाजपा ने बाबा साहब के सपनों को वास्तविकता में बदला : सीएम योगी



लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े मामलों पर विपक्ष और कांग्रेस को सख्त

प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस और विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बातें तो खूब करती है, लेकिन पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने में लगातार विफल रही है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के समानता के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आरक्षण का विस्तार करने, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में नए

मुंबई में गुरुद्वारा गिराए जाने से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

मुंबई (एजेसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक गुरुद्वारा गिराए जाने के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ध्कार्यावाही की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया और मामले में संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता प्रवीण जीवन वालोदरा का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सौम्या प्रियदर्शिनी ने किया। याचिकाकर्ता ने गुरुद्वारा गिराए जाने को लेकर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तहत एक वैधानिक निकाय के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की है

उन पर संपत्तियों को गिराए जाने पर रोक लगाने वाले शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कथित अवमाननाकर्ताओं को प्रदान किए गए किसी भी आंतरिक पत्राचार या याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वे गुरुद्वारे का प्रबंधन कर रहे थे और अपने परिवार के साथ वर्षों से शांतिपूर्वक उक्त संरचना के कमरे में रह रहे थे, जैसा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उनके पूर्ववर्तियों ने 1955 के आसपास ऐसा किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता और उनके पूर्ववर्ती उक्त भूमि और संरचना के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे।

जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे : अखिलेश यादव



नई दिल्ली (एजेसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमित शाह की ओर से बाबा साहब पर दिये गए बयान को नकारात्मक मानसिकता का चरम बिंदु बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जिनका मन 'विद्वेष' से भरा

लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दमित का शोषण करके, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बद मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय! घोर धिंतनीय! घोर आपत्तिजनक! जन-जन कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।" इस मामले को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने बुधवार को कहा, "बीआर अंबेडकर हमारे लिए पूजनीय हैं। असहज महसूस हुआ बीजेपी सांसद फागनोन कोन्याक कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सहयोगियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बुधवार को सदन में हंगामा भाषण की एक छोटी क्लिप निकाली है और उसे तोड़-मरोड़ कर वायरल कर दिया है। गृह मंत्री ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि बाबा साहब अंबेडकर की जीवित

जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का नोटिस खारिज


नई दिल्ली (एजेसी)। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच, विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67बी के तहत नोटिस दिया था। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी

महाभियोग नहीं आया था। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस का आरोप लगाया था। साथ ही इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन किए थे। हालांकि, अब विपक्ष के मंत्रियों पर पानी फिर गया। सूत्रों की माने तो, राज्यसभा के उपसभापति विपक्ष ने सभापति को हटाने के विपक्ष के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया है। उपसभापति का कहना है कि विपक्ष का महाभियोग नोटिस तथ्यों से परे है, जिसका उद्देश्य प्रचार हासिल करना है। विपक्ष का नोटिस जानबूझकर महत्वहीन है, उपराष्ट्रपति के उच्च संवैधानिक पद का अपमान है। नोटिस को अनुचित, त्रुटिपूर्ण और मौजूदा उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है।



दिया जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र ही 20 दिसंबर तक चलना है। धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने

रक्षा क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह



नई दिल्ली (एजेसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत पहले आधुनिक हथियारों और तकनीकी क्षेत्र में पीछे था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व गति से कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है, और हमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीकी कौशल अपनाने की जरूरत है। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से कहा कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम

इस बात पर जोर दिया कि नई तकनीकें आने वाले समय में हर क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डालेंगी। उनका कहना था कि भारत अभी इस तकनीकी विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन हमारा लक्ष्य इन तकनीकों पर काबू पाना है, ताकि भविष्य में इन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा, "पहले भारत आधुनिक हथियारों और तकनीकी मामलों में पीछे था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं।"

कांग्रेस ने हमेशा आंबेडकर का अपमान किया : जे. पी. नड्डा



नई दिल्ली (एजेसी)। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने-सामने हैं। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने कांग्रेस को धारा 143 के तहत अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को लेकर झूठ बोलना बंद करे। कांग्रेस ने हमेशा डॉ. आंबेडकर को नजरअंदाज और अपमानित किया। जबकि भाजपा सरकार ने हमेशा बाबा साहब की विरासत का सम्मान किया और कई सारे काम कराए। एक्स पर पोस्ट में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और उसका सजा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र तीसरी बार लोकसभा चुनाव हार गया और

रहे थे कि आंबेडकर अब कैबिनेट में नहीं हैं। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित वह घर जहां डॉ. आंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी, वहां भाजपा ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। जबकि आंबेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। मुंबई में आंबेडकर के अंतिम संस्कार स्थल चौत्य भूमि के विकास के कांग्रेस ने झूठे वादे किए। लेकिन मोदी ने यहां पर 2015 में भूमि हस्तांतरण किया जाए। मोदी ने हाल ही में दो बार वहां प्रार्थना की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि संविधान बनाने में आंबेडकर से ज्यादा नेहरु का योगदान था। उनका यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। इससे साफ है कि कांग्रेस वास्तव में डॉ. आंबेडकर के बारे में क्या सोचती है।

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला-सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली, एजेसी। सुप्रीम कोर्ट ने खानौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अजरात पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की चिकित्सा जांच नहीं कराने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। पंजाब के अति कारियों के माध्यम से किसान ने अति दृष्टाएं को समाधान की इच्छा जापूए जाने के बाद न्यायालय ने कहा कि डल्लेवाल के ठीक होने पर अदालत उनसे बात करेगी। कोई भी किसानों को विरोध प्रदर्शन से डिगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, केवल उनके नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि डल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह तक इलाज कराए

हालांकि, यह कोई नई बात नहीं है। पंजाब पुलिस के अधिकारी सीमा पर आंदोलनकारी किसानों के संपर्क में हैं। लेकिन डल्लेवाल दृढ़ हैं। वह कोई चिकित्सीय सहायता नहीं लेना चाहता। काफी समझाने के बाद वह कुछ दिन पहले अपनी चिकित्सकीय जांच कराने के लिए सहमत हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला को खनौरी बॉर्डर पर जाकर डल्लेवाल को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, हमें उम्मीद नहीं है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य को बल प्रयोग न करने का निर्देश देने के बारे में है। अब हम बल प्रयोग नहीं कर सकते, हम जो कुछ कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित कर दिया है।



लगभग 10 मिनट तक बेहोश रहे, सरकार के सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने राज्य पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है।

केजरीवाल ने मुख्यमंत्रियों से अमित शाह की अंबेडकर पर टिप्पणी पर विचार करने का किया आग्रह

नई दिल्ली (एजेसी)। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर उनसे पूर्व कानून और न्याय मंत्री बीआर अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित विवादास्पद बयान के प्रभाव पर विचार करने का आग्रह किया। केजरीवाल के पत्र शाह द्वारा बुधवार को राज्यसभा में की गई टिप्पणी के बाद लिखे गए, जिसमें आप नेता के अनुसार अंबेडकर की विरासत का अपमान किया गया है। नायडू को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल ने संसद में गृह मंत्री के बयान पर अपनी विंता व्यक्त की, जिसमें शाह ने कथित तौर पर कहा, "आजकल अंबेडकर-आंबेडकर कहना एक

फैशन बन गया है। केजरीवाल ने कहा कि शाह की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि बाबासाहेब और हमारे संविधान के प्रति भाजपा के वृष्टिकोण को भी प्रकट करती है। बाबासाहेब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा श्रद्धोत्सव ऑफ लॉर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, और उन्होंने समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए समान अधिकारों की चकालत की। भाजपा को उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई? बिहार के सीएम को लिखे अपने पत्र में सवाल उठाया। केजरीवाल ने लिखा, इससे देश भर के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि माफी मांगने

का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को बचाव किया। उन्होंने अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत, महुआ माझी और राम गोपाल यादव सहित कई सांसदों को शाह की टिप्पणी के विरोध में नीले कप गुमराह करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की डे पहने देखा गया। सांसदों ने माफी मांगने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए मकर द्वार तक मार्च किया। यह विरोध शाह के पहले के बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अंबेडकर का नाम लेना एक फ्लैशन बन गया है। अगर उन्होंने अंबेडकर की जगह भगवान का नाम इतनी बार लिया होता।

